<u>न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः दिनेश चन्द, 'एच0जे0एस0'

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538

<u>दांडिक प्रकीर्ण वाद सं0–534 / 2025</u>

<u>सी0एन0आर0 नं0–UPET010040082025</u>

रहमत बेगम बनाम अमन आदि।

<u>13.05.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पूर्व नियत तिथि पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 5ब, अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि निगरानीकर्ता / पीडिता, विपक्षी नं० 1 अमन की विवाहिता पत्नी है। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण ससुरालीजन अमन आदि ने रहमत बेगम को ससुराल से निकाल दिया। निगरानीकर्ता / पीडिता एक अनपढ घरेलू पर्दानशीन महिला है। वह मात्र हस्ताक्षर करना जानती है। वह हिन्दी लिखना पढना नहीं जानती। दिनांक 23.05.2025 को निगरानीकर्ता / पीडिता श्रीमती रहमत बेगम को गांव में ज्ञात हुआ कि उक्त वाद वाला–वाला अमन आदि द्वारा दिनांक 29.08.2024 को न्यायालय एटा से समाप्त करा दिया गया है। जानकारी होते ही निगरानीकर्ता / पीडिता अपने पिता खालिद हुसैन के साथ एटा आयी और अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त वांद के सम्बन्ध में जानकारी करायी तो निगरानीकर्ता / पीडिता रहमत बेगम को प्रथम वार दिनांक 24.05.2025 को आदेश दिनांक 29.08.2024 की जानकारी हुई। विपक्षीगण अमन आदि ने वाला–वाला फर्जी तामील कराकर निगरानीकर्ता / पीडिता की अनुपस्थिति में प्रकीर्ण वाद संख्या 456 / 2024 दिनांक 29.08.2024 को उक्त वाद समाप्त अपने हक में करा लिया, जिसकी कतई कोई जानकारी निगरानीकर्ता / पीडिता को नहीं थी। उक्त वाद के सम्बन्ध में ना ही किसी तामील कुनिन्दा ने निगरानीकर्ता / पीडिता से कभी कोई सम्मन आदि पर हस्ताक्षर कराये। निगरानीकर्ता / पीडिता उक्त आदेश दिनांक–29.08.2024 की जानकारी होते ही निगरानी / उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दायर कर रही है। निगरानी दायर करने में निगरानीकर्ता / पीडिता की ओर से कोई देरी नहीं है। उक्त वाद की जानकारी होते ही उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 24.05.2025 को आदेश दिनांक 29.08.2024 का सवाल डलवाया तथा रिकार्ड फौजदारी एटा रिकार्ड रूम से न मिलने के कारण निगरानीकर्ता / पीडिता को नकल प्राप्त नहीं हो सकी। काफी प्रयास करने के बाद दिनांक 18.06.2025 को आदेश दिनांक 29.08.2024 की नकल प्राप्त हुई। दिनांक 19.06.2025 को नकल प्राप्त होने के पश्चात निगरानीकर्ता / पीडिता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19.06. 2025 को उक्त निगरानी तैयार करायी। दिनांक 20.06.2025 को अत्यधिक वर्षा होने के कारण व यातायात के साधन न मिलने के कारण एटा नहीं आ सकी। अधिक वर्षा होने के कारण भी अधिवक्तागण के बार एसोसियेशन एटा द्वारा प्रतिकूल आदेश न पारित करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 21.06. 2025 को निगरानीकर्ता / पीडिता अपने पिता के साथ एटा आयी है। समस्त तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकर्ता / पीडिता का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ पाने की विधि प्रावधानों के अन्तर्गत लाभ पाने की अधिकारी है। निगरानीकर्ता / पीडिता की तरफ से उक्त निगरानी / प्रार्थना पत्र गुजारने में कतई कोई देरी नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है। यदि ऐसा न हुआ तो निगरानीकर्ता / पीडिता प्राकृतिक

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.05.13 15:48:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्याय से वंचित रह जायेगी, जिसकी भरपाई भविष्य में कभी नहीं होगी। अतः प्रार्थना की गयी है कि निगरानीकर्ता/पीडिता का प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिले कन्डोन किये जाने की कृपा की जावे।

विपक्षीगण अमन आदि के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मौखिक आपत्ति इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में जो देरी का आधार लिया गया है, वह उचित व पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आवेदिका को मामले की पूर्व से जानकारी थी और वह जान–बूझकर उपस्थित नहीं हुई। अतः आवेदन 5ब निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत् आदेश दिनांक 29.08.2024 की जानकारी होने के उपरांत, दिनांक 24.05.2025 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु नकल सवाल डलवाया गया तथा दिनांक 18.06.2025 को आदेश की प्रति प्राप्त होने पर दिनांक 21.06.2025 को यह आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने की मियाद 90 दिवस है। यदि आवेदक द्वारा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये लगी समयावधि को दृष्टिगत रखा जाता है, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत दांण्डिक निगरानी लगभग 207 दिन विलम्ब से योजित की गयी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **माजी सन्नेम्मा उर्फ सन्यासी रॉव बनाम रेड्डी श्रीदेवी आदि 2022 (1) सी0सी0सी0 534 (एस0सी0)** में द्वितीय अपील योजित करने में 1011 दिन के विलम्ब को इस आधार पर माफ नहीं किया गया कि इस संबंध में कोई युक्तियुक्त एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण अपीलार्थी द्वारा नहीं दिया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **मौहम्मद साहिब आदि बनाम रजिया खानम (मृतक) द्वारा वारिसान 2019(1) सी0सी0सी0 166 (एस0सी0)** में अपीलार्थीगण के धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र असत्य तथ्यों पर योजित किया था तथा प्रकरण में लापरवाही बरती थी।

पत्रावली के परिशीलन से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि प्रकरण की विस्तृत विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा आरोप पत्र संख्या 04/2022, दिनांक 18.03.2022 न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2026 को स्वीकृत जा चुका है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि उक्त विवेचना के दौरान अभियुक्त अमन के विरुद्ध कोई भी सारवान साक्ष्य न पाए जाने के फलस्वरूप, उसके सम्बंध में मुकदमा पूर्व में ही समाप्त किया जा चुका है। इस विस्तृत विधिक कार्यवाही की प्रकृति तथा इसमें आवेदिका की निरंतर सहभागिता यह दर्शाती है कि वह न्यायिक प्रक्रिया से पूर्णतः अवगत थी।

जहाँ तक तामीला का प्रश्न है, पत्रावली के अवलोकन से यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आता है कि स्वयं आवेदिका/निगरानीकर्ता रहमत बेगम पर दिनांक 03.08.2024 को ही सम्मन/नोटिस का बजात खास व्यक्तिगत रूप से तामीला हो चुका था, जिसे विधिक रूप से पर्याप्त माना गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में आलोच्य आदेश उक्त व्यक्तिगत तामीले के लगभग 26 दिन पश्चात, दिनांक 29.08.2024 को पारित किया गया था। तामीले और आदेश पारित होने की तिथियों का यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है कि आदेश पारित होने से पूर्व ही आवेदिका को न्यायालय में चल रही सम्पूर्ण कार्यवाही की भली–भांति जानकारी थी। अतः आवेदिका का यह कथन कि विपक्षीगण द्वारा फर्जी तामीला कराकर उसकी अनुपस्थिति में वाद समाप्त करा लिया गया तथा उसे दिनांक 23.05.2025 को

प्रथम बार आदेश की जानकारी हुई, पूर्णतः असत्य, तथ्यहीन एवं कल्पित प्रतीत होता है। स्वयं पर बजात खास तामीला होने के उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित न होना यह स्पष्ट करता है कि आवेदिका को आदेश दिनांकित 29.08.2024 की जानकारी पूर्व से ही थी और वह सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर अनुपस्थित रही। निगरानी प्रस्तुत करने में हुए 207 दिन के अत्यधिक विलंब का जो मुख्य आधार कार्यवाही की अज्ञानता आवेदिका द्वारा बताया गया है, वह साक्ष्यों के प्रकाश में विधिक रूप से असंतोषजनक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्ट एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। कुल मिलाकर लगभग 207 दिन का यह अत्यधिक विलम्ब पुनरीक्षणकर्ता की घोर लापरवाही और शिथिलता को दर्शाता है। अतः विलम्ब को क्षमा करने का कोई पर्याप्त व न्यायोचित आधार पत्रावली पर विद्यमान नहीं है। तदनुसार, आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 5ब अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बलहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका का प्रार्थना–पत्र 5ब, अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश के विरूद्ध योजित दांडिक निगरानी कालबाधित होने के कारण निरस्त की जाती है।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा
JO Code UP 6538

<u>दिनांकः 13.05.2026</u>